163

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2129-एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-12-13 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, सिवनी प्रकरण क्रमांक 17/अ-67/12-13.

मेसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
कम्पनी अहमदाबाद कैम्प बटवानी
तहसील व जिला सिवनी
द्वारा परियोजना निदेशक
सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड,
कैम्प बटवानी तहसील व जिला सिवनी ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन
2- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (ग्रामीण) ---- अनावेदकगण
जिला सिवनी.

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री परेश वर्मा ।
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री डी0के0 शुक्ला ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 19-9-2016 **को पारित)**

यह निगरानी अपर कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ-67/12-13 में पारित आदेश दिनांक 20-12-13 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो उल्लिखित तर्को को दोहराते हुए तर्क दिया गया है कि पूर्व अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 28-1-2012 को जो आदेश पारित किया गया

है वह अभिलेख पर आधारित है । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आदेश प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विस्तृत जांच के पश्चात तथा समस्त परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का उचित रूप से निर्धारण करते हुए विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं थी जिस कारण उसका पुनरावलोकन आवश्यक हो ।

यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण पुनरावलोकन में लिया गया है जबकि शिकायतकर्ता का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं था अतः उसकी शिकायत के आधार पर पुनरावलोकन की कार्यवाही कर आदेश पारित करना अवैधानिक है । आवेदक कंपनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पुनरावलोकन प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की थी परंतु उन आपत्तियों को न्यायालय द्वारा उचित रूप से निराकृत नहीं किया गया । पुनरावलोकन के संबंध में जो आधार संहिता की धारा 51 सहपठित धारा 114 सहपठित आदेश 41 नियम 1 सी.पी.सी. में दिए गए हैं, उनमें से एक भी आधार वर्तमान प्रकरण में विद्यमान नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में कलेक्टर ने जो पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की है वह संहिता की धारा 51 (1) के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि पुनरावलोकन की अनुमति विपक्षी को सुने बिना प्रदान नहीं की जा सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 (उच्च न्यायालय) का संदर्भ देते हुए कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर द्वारा दी गई अवैधानिक अनुमति के परिप्रेक्ष्य में जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक होने से उक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा शिकायत के उपरांत की गई कार्यवाही में शासन पक्ष के साक्षियों की कोई साक्ष्य नहीं ली गई और ना ही कोई जांच कराई जबकि संहिता की धारा 247 (7) के अनुसार उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन पर होता है, शासन को विधिवत साक्ष्य से अपना पक्ष सिद्ध करना चाहिए जो इस प्रकरण नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अप्रमाणित साक्ष्य को प्रमाणित मानने में विधिक त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कलेक्टर, सिवनी के प्रकरण क्रमांक 108/बी-121/10-11 में गठित जांच समिति के प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 15-11-11 एवं आदेश पत्रिका दिनांक 1-12-2011 पर आवेदक कम्पनी के अभिभाषक द्वारा प्रश्नाधीन ग्राम फुलारा एवं ऐरपा की शासकीय भूमि से 460800 घनमीटर अवैध गौण खनिज उत्खनन करने के संबंध में स्वीकृति एवं सहमति दिया जाना मानते हुए आदेश पारित किये हैं जबकि आवेदक कंपनी के अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई स्वीकारोक्ति एवं सहमति नहीं दी गई है ।

यह तर्क दिया गया कि शासन पक्ष के साक्षी कोटवार संतकुमार, राजस्व निरीक्षक नत्थू लाल यादव एवं पटवारी नरेन्द्र साहू तथा झामसिंह ने उनके परीक्षण प्रतिपरीक्षण कथन में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दिनांक 20-7-12 को खनिज निरीक्षक ओ.पी. बघेल द्वारा ग्राम फुलारा एवं एपेरा की भूमियों का नाप नहीं किया गया था तथा जो पंचनामा 20-7-11 को खनिज निरीक्षक ने बनाया गया है वह बिना किसी नाप के बनाया गया है तथा निर्मित पंचनामा में अवैधानिक खनिज उत्खनन का जो क्षेत्र दर्शित किया गया है वह जांचकर्ता खनिज निरीक्षक द्वारा मनमाने ढंग से लिखा गया है । उक्त आधार पर कहा गया है कि खनिज निरीक्षक द्वारा 20-7-11 को निर्मित पंचनामा आधारहीन होने के कारण प्रकरण में आवेदक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं । न्यायदृष्टांत 2003(3) एम.पी.एल. जे. 573 ओनामा गिलास वर्क्स लिमिटेड जबलपुर विरूद्ध म0प्र0 राज्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 27-8-2002 में माननीय उच्च न्यायालय ने शास्ति को इसी आधार पर अपास्त किया गया है कि शास्ति के निर्धारण में साक्ष्य को उचित ढंग से परिशीलन नहीं किया गया और ना ही जांच उचित रूप से की गई ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247(7) में यह प्रावधान है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन है और शासन को शंका से परे प्रकरण साक्ष्य से सिद्ध करना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में न तो अवैध उत्खनन करते हुए किसी ने देखा है न ही अवैध उत्खनन मौके पर जप्त किया है तथा न ही अवैध उत्खनन में लाई गई सामग्री जप्त की गई है तथा न ही गढ्ढे के नाप के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है । शासन पक्ष के साक्षियों द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्यों को स्वीकार किया गया है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । इस संबंध में उनके द्वारा 1996 आर.एन. 365 एवं 1994 आर.एन. 241 का संदर्भ दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि शासन पक्ष के साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ग्राम फुलारा के आसपास बहुत सी ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं इन सड़कों पर गौंण खनिज उपयोग किया गया है । उक्त तथ्यों को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर ने अनदेखी करते हुए आदेश पारित किये हैं । आलोच्य आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालयों ने शासन पक्ष के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण एवं परीक्षण का उचित ढंग से परिशीलन नहीं किया है इस कारण उक्त आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247 (7) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्थल निरीक्षण अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में किया जाना चाहिए । जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है जैसाकि शासन पक्ष के साक्षी झामसिंह पटवारी ग्राम एपेरा एवं पटवारी नरेन्द्र साहू द्वारा प्रतिपरीक्षण में

स्वीकार किया है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सीमांकन कार्य नहीं कराया गया है । यह भी स्वीकार किया गया है कि पंचनामा के समय बरसात का मौसम था और जगह-जगह पानी भरा होने के कारण नाप किया जाना संभव नहीं था इसलिए किसी भी तरह की कोई नाप स्थल पर नहीं हुई एवं मौके पर खनिज अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य को अधीनस्थ न्यायालयों ने नजर अंदाज कर आदेश पारित किया जो निरस्ती योग्य है । तथा अवैध उत्खनन का दिनांक उल्लिखित किया जाना चाहिए, अवैध उत्खनन की मात्रा का भी लेख किया जाना चाहिए तथा अवैध उत्खनन का मूल्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में इसमें किसी भी अनिवार्य प्रावधान का पालन खनिज निरीक्षक ने नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । इन तर्को के समर्थन में उनके द्वारा 1976 आर.एन. 453 एवं 474 को संदर्भित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक कंपनी द्वारा ग्राम ऐरपा की कृषि भूमि खसरा नं. 31 के रकबा 1 हैक्टर, खसरा नं. 26 के रकबा 1 हैक्टर, 26/4 के रकबा 1 हैक्टर एवं खसरा नं. 24 के रकबा 1 हैक्टर एवं ग्राम फुलारा की भूमि खसरा नं. 52 में से 3 हैक्टर एवं खसरा नं. 187 के रकबा 4 हैक्टर के लिए विधिवत अस्थाई परमिट प्राप्त करते हुए गौण खनिज पत्थर का उत्खनन किया जाकर उपयोग में लाया गया है तथा आवेदक कंपनी द्वारा उक्त स्वीकृत अस्थाई परमिट के आधार पर उत्खनित मात्रा की रायल्टी भी विधिवत जमा की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि आावेदक कंपनी द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य कानूनी प्रक्रिया के कारण माह जून 2010 से बंद है । अतः इस अवधि के बाद आवेदक कंपनी द्वारा उत्खनन करने का प्रश्न ही नहीं होता है । शासन पक्ष के साक्षी के.सी.राम चौकसे, राजस्व निरीक्षक, सिवनी ने अपने प्रतिपरीक्षण में अन्य तथ्यों के अलावा इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि खसरा नं. 187 एवं 26 ग्राम फुलारा एवं एपेरा पर किया गया तीन हैक्टर पर उत्खनन कार्य वैध है जबकि आवेदक कंपनी को चार हैक्टर भूमि पर उत्खनन की अनुमति थी एवं उसके द्वारा कम क्षेत्र में ही उत्खनन किया गया है । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना जबाव एवं साक्ष्य के मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किए हैं, खनिज विभाग द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति दस्तावेज भी पेश किए है तथा उनको प्रदर्शित किया है किंतु उन पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नहीं किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत कारण बताओ सूचनापत्र नहीं दिया है तथा कारण बताओ सूचनापत्र में विधान अनुसार अवैध उत्खनन का दिनांक, उसका तथ्यात्मक बाजारू मूल्य, अवैध उत्खनन में लाई गई वस्तु तथा अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में सीमांकन

अनिवार्य है । विचारण न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र में न तो अवैध उत्खनन का दिनांक लिखा है न ही अवैध उत्खनन का तथ्यात्मक मूल्य लिखा है । इस प्रकार अनिवार्य प्रावधान का कोई पालन नहीं हुआ है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैधानिक होकर निरस्ती योग्य हैं । विचारण न्यायालय ने अपीलांट को जांच प्रतिवेदन की प्रति भी नहीं दी है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य हैं । अपने तर्क के समर्थन में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा 1976 आर.एन. 453 एवं 1985 आर.एन. 119 को उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन के बाद जांच करवाना चाहिए जबकि मौजूदा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है तथा बिना जांच के आदेश पारित कर दिया है जो प्राथमिक दृष्टि में ही विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं । इस संबंध में उनके द्वारा 1981 आर.एन. 449 को उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247 (7) के अंतर्गत विवादित स्थल का सीमांकन आवश्यक है तथा सीमांकन उत्खननकर्ता की उपस्थिति में होना चाहिए मौजूदा प्रकरण में कोई सीमांकन नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि शासकीय कार्य में किया गया उत्खनन वैसे भी अवैध उत्खनन नहीं होता है तथा उस पर धारा 247 (7) के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है । इस वैधानिक प्रश्न पर भी अनुविभागीय अधिकारी ने कोई विचार नहीं किया है इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1968 आन.एन. 261, 1988 आर.एन. 64, 1981 एम.पी.डब्लू.एन. II नोट 247 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक कंपनी ने कभी भी किसी भी समय जांच प्रतिवेदन के तथ्यों पर कोई स्वीकारोक्ति प्रदान नही की थी । यद्यपि जांच की कार्यवाही कंपनी द्वारा उत्खनन किये जाने के कई महीनों पश्चात की गई थी एवं मौके पर पानी भरा हुआ था । जांच के पूर्व कई महीनों से आवेदक का काम मौके पर शासन द्वारा स्वयं ही स्थगित किया गया था ऐसी स्थिति में किसी तरह के अवैध उत्खनन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा उक्त तर्को को अपर कलेक्टर के समक्ष उठाया गया था, किंतु उन पर अपर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और अवैधानिक तरीके से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर पारित आदेशों को निरस्त करने तथा अपीलांट के विरूद्ध प्रारंभ किये गये अवैध उत्खनन के प्रकरण को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित है । अवैध उत्खनन पाए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर ने की है । प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष तथ्यों पर समवर्ती हैं । अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का दिनांक 28-1-12 का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत आदेश है क्योंकि उक्त आदेश उनके द्वारा प्रकरण में आई सम्पूर्ण साक्ष्य की विस्तार से विवेचना करते हुए पारित किया गया है । मेरे द्वारा शासन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया । सभी साक्षियों द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में इन तथ्यों को स्वीकार किया गया है कि खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सीमांकन कार्य नहीं कराया गया है । यह भी स्वीकार किया गया है कि पंचनामा के समय बरसात का मौसम था और जगह-जगह पानी भरा होने के कारण नाप किया जाना संभव नहीं था इसलिए किसी भी तरह की कोई नाप स्थल पर नहीं हुई एवं मौके पर खनिज अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । साक्षी नत्थूलाल यादव, राजस्व निरीक्षक सिवनी भाग-2 द्वारा उनके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि - यह बात सही है कि मैं मौके पर पहुंचा तब तक पंचनामा बन चुका था । पंचनामा में खसरा नं. 6 और 26 के बाद खाली जगह छोड़ दी गई थी यह बात भी सही है कि पंचनामा में खसरा नं. 187 के बाद भी रकबे की खाली जगह छोड़ दी गई थी । यह भी सही है कि मेरे कार्यकाल के पहले ही सद्भाव कंपनी ने अपना कार्य बंद कर दिया था । इसी प्रकार की स्वीकारोक्ति शासन पक्ष के साक्षी झामसिंह पटवारी ग्राम ऐरपा द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण कथन में की गई है । उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विवादित स्थल के आसपास बसाहट नहीं है । शासन पक्ष के साक्षी संतकुमार कोटवार द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि विवादित स्थलों के आसपास ग्राम चारगांव, चावड़ी इत्यादि ग्रामों की सड़कों का निर्माण हुआ है ओर आवेदक कंपनी की खदानों से लगे हुए भाग को दूसरे लोगों के द्वारा खरीदा गया है और वे लोग पत्थर एवं मुरम उत्खनित कर ट्रक और ट्रेक्टरों के माध्यम से ले गये हैं । शासन पक्ष के साक्षी खनिज निरीक्षक एवं के.सी. राम चौकसे, राजस्व निरीक्षक सिवनी भाग-1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक कंपनी के पक्ष में खनिज कार्यालय द्वारा स्वीकृत अस्थाई परमिट में दर्शित स्वीकृत क्षेत्र से कम क्षेत्र में पत्थर उत्खनन का कार्य किया गया है ।

6/ शासन पक्ष के साक्षी ओ.पी. बघेल, खनिज निरीक्षक ने अपने प्रतिपरीक्षण कथन दिनांक 23.1.12 में यह तथ्य प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है कि सड़क निर्माण में जो खनिज का उपयोग होता है उसका मेजरमेंट हमारे द्वारा एन.एच.आई. के द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कराया जाता है । यह बात सही है कि हमारे विभाग द्वारा खनिज की मात्रा निर्धारित की जाती है और यह देखा जाता है कि निर्धारित मात्रा के अनुरूप रॉयल्टी का भुगतान किया गया है या नहीं ? यह बात भी सही है कि आवेदक कंपनी का काम माह जुलाई 2010 से बंद पड़ा हुआ है । आवेदक कंपनी ने जो खनिज का उपयोग किया है उसका असेसमेंट कराकर इन्होंने लगभंग 1,58,76,771 रूपये की राशि जमा की है । यह बात सही है कि आवेदक सद्भाव कंपनी ने खसरा नं. 185, 187, 592, 591, 590, 593, 596, 598 एवं खसरा नं. 31 पर रायल्टी देने के बाद उत्खनन किया है । मैं यह नहीं कह सकता कि उस दिन याने दिनांक 20.7.11 को कोई नाप जोख हुआ था या नहीं । यह बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से तथाकथित अवैध उत्खनन के संबंध में कोई नाप जोख नहीं की । इस प्रकार इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदक कंपनी द्वारा खनिज पत्थर अवैधानिक रूप से उत्खनन करने के तथ्य प्रमाणित नहीं है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 28-1-12 के द्वारा समस्त तथ्यों एवं शासन पक्ष के साक्षियों के कथनों एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया था ।

7/ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28-1-12 को पारित उक्त विधिसम्मत आदेश को सतपाल सिंह बघेल नाम के व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन के आधार पर निरस्त करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है क्योंकि सतपाल सिंह बघेल पक्षकार के रूप में प्रकरण के निर्धारण की प्रकिया में पक्षकार नहीं थे । संहिता की धारा 51 में स्पष्ट उल्लेख है कि पुनरावलोकन केवल प्रकरण में हित रखने वाले पक्षकारों द्वारा ही किया जा सकता था । पुनरावलोकन की प्रार्थना पक्षकारों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है जबकि प्रकरण में जो साक्ष्य है उसको देखते हुए यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28-1-12 को पारित आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण उसका पुनरावलोकन किया जाये । अतः यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पुनरावलोकन का कोई आधार नहीं था इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी ने शिकायत के आधार पर प्रकरण को पुनरावलोकन में लेते हुए अपने पूर्वाधिकारी के विधिसम्मत एवं न्यायिक आदेश को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गई है । यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता का ना तो प्रकरण में कोई हित है ओर ना

ही वह विचारण न्यायालय में पक्षकार था । अतः केवल इसी आधार पर उक्त आवेदन निरस्त किये जाने योग्य था परंतु उन सभी विधिक प्रावधानों को विचारण न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर एवं पूर्व में की जांच की कार्यवाही में आई साक्ष्य को ध्यान में न रखकर एवं उसे विधि अनुसार परिशीलन न कर आदेश दिनांक 30.11.12 पारित करने में त्रुटि की गई है इस कारण उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

8/ आवेदक अधिवक्ता की ओर से दिया गया यह तर्क भी स्वीकार योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति मांगे जाने पर कलेक्टर ने जो अनुमति दी है वह आवेदक को बिना सुने दी है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन के आवेदन पर उनके द्वारा कलेक्टर से पुनर्विलोकन की अनुमति मांगे जाने पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा आवेदक पक्ष को सुने बिना दिनांक 26-7-12 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-1-12 के पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है । कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति संहिता की धारा 51 के प्रावधानों के विपरीत है । न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मंडल या अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाने से पूर्व प्रतिपक्ष को सूचनापत्र निर्वाहित किया जाना और उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है । 2000 रे.नि. 161 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि -"धारा-51 (1) परंतुक (एक)- पुनर्विलोकन के लिए अनुमति-मनोनियोग के पश्चात दी जाना चाहिए-शब्द सिफारिश से सहमत-मनोनियोग दर्शित नहीं होता-विधि की अपेक्षा पूरी नहीं होती । " इसी प्रकार 2010 रे.नि. 124 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि- धारा 51 (1) -परंतुक (एक) -पुनर्विलोकन के लिए मंजूरी-मनोनियोग का प्रयोग किए और दूसरे पक्ष को सूचना दिये बिना नहीं दी जा सकती-यंत्रवत पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता।" धारा 51 (1) -परंतुक (एक) - मनोनियोग का प्रयोग किए और दूसरे पक्ष को सूचना दिये बिना पुनर्विलोकन के लिए मंजूरी प्रदान की गई-मंजूरी प्रत्यक्षतः अवैध है-ऐसी मंजूरी पर पुनर्विलोकन की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के पूर्व संबंधित पक्षकार को सूचना दिया जाना आवश्यक है जाना आवश्यक है । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में कलेक्टर द्वारा प्रतिपक्ष (आवेदक) को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना

अनुमति प्रदान की गई है । इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

9/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश दिनांक 28-1-12 को मुख्य रूप से इस आधार पर निरस्त किया गया है कि कलेक्टर, सिवनी के प्रकरण क्रमांक 108/बी-121/10-11 निर्णीत दिनांक 1-12-11 का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि उक्त प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16-11-11 को अवैधानिक गौण खनिज पत्थर उत्खनन की मात्र 4,60,800 घनमीटर पर कोई आपत्ति न करते हुए गठित जांच दल के प्रस्तुत अवैधानिक उत्खनन प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई है, जिसे उनके पूर्वाधिकारी ने आदेश पारित करते समय अनदेखा किया है और नये सिरे से स्थल जांच दल गठित करते हुए पुनः सीमांकन कराने हेतु जारी आदेश त्रुटिपूर्ण एवं औचित्यहीन था । मेरे द्वारा कलेक्टर, सिवनी के प्रकरण कमांक 108/बी-121/10-11 में पारित आदेश दिनांक 1-12-11 जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न है, का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि या उसके अधिवक्ता द्वारा अवैधानिक उत्खनन प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई हो बल्कि आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि या उसके अधिवक्ता द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए समस्त वस्तु स्थिति का स्पष्ट किए जाने की बात आदेश में कही गई है । आदेश में कलेक्टर द्वारा जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 15-11-11 के आधार पर आवेदक कंपनी के विरूद्व 4,60,800 घनमीटर अवैध गौण खनिज उत्खनन किए जाने के कारण आवेदक कंपनी के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 10/अ-67/2010-11 का निराकरण यथासंभव 2 माह की समयावधि में निराकृत करने के निर्देश दिए है । इस प्रकरण में जो जबाव कंपनी की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसमें उक्त प्रतिवेदन को गलत बताया गया है । यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है जिस जांच दल के अवैधानिक उत्खनन प्रतिवेदन को आधार बनाकर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30.11.12 को आदेश पारित किया गया है, उक्त प्रतिवेदन भी आवेदक की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है और ना ही उसे संहिता की धारा 247 के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य से सिद्व किया गया है । अतः उक्त आधार पर भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

10/ शासन पक्ष के साक्षियों द्वारा उनके प्रतिपरीक्षण में किए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि खनिज निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा उत्खनित बताई जा रही भूमि का मौके पर जाकर सीमांकन नहीं किया गया है । संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत जांच अवैध उत्खननकर्ता की

उपस्थिति में किया जाना अनिवार्य है जो इस प्रकरण में नहीं है । इससे आवेदक के इस तर्क को बल मिलता है कि खनिज निरीक्षक ने मौका देखा ही नहीं है और मनमाने तरीके से असत्य रिर्पोट पेश की गई है । उत्खनन के प्रकरणों में सबूत का भार शासन पर होता है कि वह सिद्ध करे कि अवैध उत्खनन हुआ है और यदि अवैध उत्खनन सिद्ध नहीं किया गया तो आवेदक पर अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है । न्यायदृष्टांत 2005 आर.एन. 107 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 247 (7) - सबूत का भार सरकार पर - खनन निरीक्षक की साधारण रिर्पोट - उसकी परीक्षा किए जाने और प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए जाने के अभाव में पर्याप्त नहीं - साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । न्यायदृष्टांत 1976 आर.एन. 453 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 237 (7) अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में समुचित प्रमाण दिया जाना आवश्यक है और प्रमाण भार राज्य पर है । उसके द्वारा ही सिद्ध किया जाना होता है कि खनिज संपदा का अनुचित दोहन अथवा अवैध उत्खनन किया गया है । न्यायदृष्टांत 97 आर. एन. 174 में यह व्यवथा दी गई है कि धारा - 247(7) खानों से अवैध उत्खनन का मामला - सरकार द्वारा पूर्णतः साबित किया जाना होता है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 89 आर.एन. 579 में भी यह न्यायिक व्यवस्था दी गई है कि धारा 247- के तहत खनिज निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर जांच की जाती है तो उसे साबित करने का भार शासन पर होता है । न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 365 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 247 - खनिज अवैध रूप से निकालना - उपबंध दांडिक प्रकृति का है युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए - मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं लगाया जा सकता । उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं ।

11/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है कि आवेदक कंपनी द्वारा उत्खनन का कार्य शासकीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है । न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 64 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 धारा 247 (7) - शक्ति शासकीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सद्भावपूर्ण उत्खनन आपराधिक मनस्थिति नहीं - उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करना नहीं-शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती । जहां तक आवेदक की ओर से उद्धरित अन्य न्यायदृष्टांतों का प्रश्न है, उनके अवलोकन से यह पाया जाता है कि वे न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात एवं आवेदक द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह साक्ष्य पर आधारित न होने से स्थिर

रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक अपर कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में न्यायिक त्रुटि की गई है इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त, जबलपुर के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील क्रमांक 544/अ-67/13-14 में प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा अपर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.13 एवं अनुविभागीय अधिकारी, (ग्रामीण) सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.12 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी, (ग्रामीण) सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-1-12 स्थिर रखा जाता है । अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक कंपनी के जप्तशुदा वाहन आवेदक कंपनी को तत्काल वापिस किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर